# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
# की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत
# स्वः प्रकटीकरण

# ग्राम्य विकास विभाग,
# उत्तराखण्ड

# मैनुअल संख्या - 12

**सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं**

**(Manner of Execution of Subsidy Programmes, Including the Amounts Allocated and the Details of Beneficiaries of Such Programmes)**

## 12.1 सहायिकी (Subsidy) कार्यक्रमों के नाम, उद्देश्य एवं अवधि

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा ग्रामीण निर्धनता निवारण, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख रूप से 4 सहायिकी (सब्सिडी / वित्तीय अनुदान) आधारित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:

**1. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम (National Biogas Programme):**

- कार्यक्रम का नाम: राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम (National Bioenergy Programme के अंतर्गत)।
- उद्देश्य: ग्रामीण अंचलों में मवेशियों के गोबर व जैविक कचरे का सदुपयोग कर स्वच्छ भोजन पकाने का ईंधन (बायोगैस) उपलब्ध कराना, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा, वनों पर लकड़ी की निर्भरता घटाना तथा पोषक जैविक खाद (बायो-स्लरी) के उत्पादन से कृषि लागत को कम करना।
- अवधि: भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 (Phase-I) हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में निरंतर संचालित।

**2. इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना (Indira Amma Bhojnalaya):**

- कार्यक्रम का नाम: इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना (राज्य पोषित)।
- उद्देश्य: समाज के निर्धन, असंगठित क्षेत्र के दैनिक श्रमिकों, विद्यार्थियों, यात्रियों एवं जरूरतमंदों को अत्यधिक रियायती दर पर स्वच्छ व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना तथा इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपकर महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार व सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना।
- अवधि: शासनादेश संख्या 1135 दिनांक 25.08.2015 के क्रम में प्रारंभ होकर निरंतर जारी।

**3. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):**

- कार्यक्रम का नाम: DAY-NRLM (उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन - USRLM)।
- उद्देश्य: गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG), ग्राम संगठनों (VO) तथा संकुल स्तरीय संघों (CLF) में संगठित कर उन्हें परिक्रामी निधि (RF), सामुदायिक निवेश कोष (CIF) और बैंकों से 7% से अधिक ब्याज पर 'ब्याज उपादान' (Interest Subvention Subsidy) उपलब्ध कराकर 'लखपति दीदी' बनाना।
- अवधि: केंद्र पोषित सतत मिशन मोड योजना (दीर्घकालिक)।

**4. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) एवं पीएम-जनमन (PM-JANMAN):**

- कार्यक्रम का नाम: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)।
- उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर, कच्चे व जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG - राजी एवं बुक्सा) को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान बनाने हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय राजसहायता (Capital Subsidy/Grant) उपलब्ध कराना।
- अवधि: पीएम-जनमन वित्तीय वर्ष 2025-26 तक संतृप्तिकरण तथा PMAY-G वर्ष 2028-29 तक विस्तारित।

## 12.2 लाभ / सहायिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया

विभाग की विभिन्न सहायिकी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली पारदर्शी एवं विधिक प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

**1. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम में सहायिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया:**

1. आवेदन प्रस्तुति: ग्रामीण काश्तकार/पशुपालक विकास खण्ड कार्यालय अथवा भारत सरकार के बायो-ऊर्जा पोर्टल (biogas.mnre.gov.in) पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करता है।

2. स्थलीय तकनीकी परीक्षण: ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास खण्ड के तकनीकी सहायक द्वारा आवेदक के पास न्यूनतम आवश्यक पशुधन (गोबर उपलब्धता), जल स्रोत तथा संयंत्र निर्माण हेतु खुली भूमि का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

3. निर्माण एवं टर्न-की वारंटी: सत्यापनोपरांत अनुमोदित मॉडल (दीनबंधु फिक्स्ड डोम अथवा केवीआईसी मॉडल) के अनुसार राज्य अधिकृत टर्न-की वर्कर/कारीगर के माध्यम से संयंत्र स्थापित कराया जाता है।

4. कार्यपूर्ति व डीबीटी भुगतान: संयंत्र से गैस उत्पादन प्रारंभ होने तथा मानक ISI मार्का बर्नर चालू होने पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तदोपरांत भारत सरकार से अनुमन्य केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA/सब्सिडी) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डी.बी.टी. (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

**2. इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना में सहायिकी प्रक्रिया:**

1. समूह चयन एवं अनुबंध: मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर NRLM के अंतर्गत सक्रिय व परिक्रामी निधि प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह का चयन लॉटरी/मेरिट आधार पर किया जाता है।

2. अवस्थापना सुविधा: चयनित समूह को नगर निकाय/विकास भवन द्वारा निःशुल्क स्थान, बिजली व पानी संयोजन उपलब्ध कराया जाता है।

3. दैनिक कूपन वितरण व अभिलेखीकरण: समूह द्वारा भोजन ग्रहण करने वाले प्रत्येक नागरिक से निर्धारित रियायती दर लेकर मुद्रित कूपन दिया जाता है तथा दैनिक पंजिका में ग्राहक का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है।

4. सब्सिडी का क्लेम एवं अंतरण: समूह द्वारा प्रतिमाह वितरित कुल थालियों का प्रमाणित बिल जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU) व खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके सत्यापनोपरांत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ₹10.00 प्रति थाली की दर से सब्सिडी की प्रतिपूर्ति समूह के बैंक खाते में की जाती है।

**3. DAY-NRLM (आजीविका) वित्तीय समावेशन एवं ब्याज उपादान प्रक्रिया:**

1. समूह गठन एवं पंचसूत्र: 10 से 15 गरीब महिलाओं का समूह गठित होकर न्यूनतम 3 माह तक पंचसूत्र (नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक ऋण, ऋण वापसी व लेखा संधारण) का पालन करता है।

2. परिक्रामी निधि (RF): 12 साप्ताहिक बैठकों के उपरांत प्रथम ग्रेडिंग उत्तीर्ण करने पर ₹15,000 से ₹30,000 की परिक्रामी निधि समूह के खाते में अवमुक्त की जाती है।

3. सामुदायिक निवेश निधि (CIF): 6 माह पूर्ण होने एवं माइक्रोक्रेडिट प्लान (MCP) तैयार होने पर संकुल स्तरीय संघ (CLF) के माध्यम से प्रति समूह ₹1.50 लाख तक निवेश सहायता प्रदान की जाती है।

4. ब्याज उपादान (Interest Subvention): बैंक से ऋण लेने वाले समूहों द्वारा समय पर किस्तों की अदायगी करने पर 7% से अधिक के ब्याज की अंतर राशि यूकेएसआरएलएम (USRLM) द्वारा सीधे समूह के बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा की जाती है।

**4. PMAY-G एवं पीएम-जनमन ग्रामीण आवास राजसहायता प्रक्रिया:**

1. सर्वे एवं सत्यापन: 'आवास प्लस' मोबाइल ऐप द्वारा सर्वेक्षित परिवारों की पात्रता का ग्राम सभा की खुली बैठक में सत्यापन एवं प्राथमिकता सूची का पंचायत भवन पर प्रदर्शन।
2. स्वीकृति एवं जियो-टैगिंग: कच्चे मकान/स्थल की जियो-टैग फोटो अपलोड होने पर परियोजना निदेशक, DRDA द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जाती है।
3. 3 चरणों में डीबीटी भुगतान: नींव स्तर (प्रथम किस्त), लिंटल स्तर (द्वितीय किस्त) तथा छत/शौचालय सहित पूर्णता (तृतीय किस्त) का स्थलीय सत्यापन होते ही सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित होती है।

## 12.3 कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, सब्सिडी का पैमाना व आवंटित राशि

विभाग में संचालित विभिन्न सहायिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय व भौतिक पैमाने तथा बजट प्राविधान निम्नवत हैं:

**(क) सहायिकी (Subsidy) का पैमाना एवं अनुदान दरें:**

| कार्यक्रम का नाम | मद / घटक | सहायिकी (Subsidy) का स्वरूप एवं विहित पैमाना | वित्त पोषण अनुपात (केन्द्र : राज्य) |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम | • 1 घनमीटर संयंत्र | ₹17,000/- प्रति संयंत्र (पर्वतीय/NE/SC/ST हेतु) | 100% केंद्र पोषित (MNRE, भारत सरकार) |
| | • 2 से 4 घनमीटर संयंत्र | ₹22,000/- प्रति संयंत्र | |
| | • 6 घनमीटर संयंत्र | ₹29,250/- प्रति संयंत्र | |
| | • 8 से 10 घनमीटर संयंत्र | ₹34,500/- प्रति संयंत्र | |
| | • 15 घनमीटर संयंत्र | ₹63,250/- प्रति संयंत्र | |
| | • 20 से 25 घनमीटर संयंत्र | ₹70,400/- प्रति संयंत्र | |
| | • टर्न-की जॉब फीस (5 वर्ष वारंटी) | | |

| कार्यक्रम का नाम | मद / घटक | सहायिकी (Subsidy) का स्वरूप एवं विहित पैमाना | वित्त पोषण अनुपात (केन्द्र : राज्य) |
|---|---|---|---|
| | | ₹3,000/- (1–10 $M^3$) एवं ₹5,000/- (15–25 $M^3$) प्रति संयंत्र | |
| इन्दिरा अम्मा भोजनालय | • उपभोक्ता थाली दर (मैदानी)<br>• उपभोक्ता थाली दर (पर्वतीय)<br>• राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी | ₹20.00 प्रति थाली (देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर, नैनीताल)<br>₹25.00 प्रति थाली (समस्त पर्वतीय जनपद)<br>₹10.00 प्रति थाली (शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन) | 100% राज्य पोषित (ग्राम्य विकास बजट) |
| DAY-NRLM (आजीविका) | • परिक्रामी निधि (RF)<br>• सामुदायिक निवेश कोष (CIF)<br>• ब्याज उपादान (Subvention) | ₹15,000/- से ₹30,000/- प्रति स्वयं सहायता समूह<br>अधिकतम ₹1,50,000/- प्रति स्वयं सहायता समूह<br>7% से अधिक बैंक ब्याज की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति | 90 : 10 (केन्द्रांश : राज्यांश) |
| PMAY-G ग्रामीण आवास | • मकान निर्माण राजसहायता<br>• शौचालय निर्माण (SBM/मनरेगा)<br>• अकुशल श्रमांश (मनरेगा) | ₹1,30,000/- (तीन किस्तों में: 60+40+30 हजार)<br>₹12,000/- प्रति आवास अतिरिक्त अनुदान<br>95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी (₹23,940/-) | 90 : 10 (केन्द्रांश : राज्यांश) |

| कार्यक्रम का नाम | मद / घटक | सहायिकी (Subsidy) का स्वरूप एवं विहित पैमाना | वित्त पोषण अनुपात (केन्द्र : राज्य) |
|---|---|---|---|
| | • किचन बर्तन टॉप-अप | ₹6,000/- प्रति आवास (राज्य सरकार द्वारा) | |
| पीएम-जनमन (PM JANMAN आवास) | • मकान निर्माण सहायता (राजी/बुक्सा)<br>• शौचालय एवं श्रमांश कन्वर्जेंस | ₹2,00,000/- (तीन किस्तों में: 90+90+20 हजार)<br>₹12,000/- शौचालय + 95 दिवस मनरेगा श्रमांश | 90 : 10 (केन्द्रांश : राज्यांश) |

**(ख) वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा बजट आवंटन स्थिति (वित्तीय वर्ष 2026-27):**
***(धनराशि लाख ₹ में)***

| क्र. सं. | योजना / सहायिकी कार्यक्रम का नाम | वार्षिक बजट प्राविधान (2026-27) | अवमुक्त / उपलब्ध धनराशि (अगस्त 2026) | वास्तविक व्यय / संवितरण (अगस्त 2026) | वार्षिक भौतिक लक्ष्य | भौतिक उपलब्धि की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम | 0.00 (टोकन/अवशेष) | 21.25 | 0.22 | 150 संयंत्र स्थापना | विगत वर्षों में 195 संयंत्र पूर्ण, चालू वर्ष में कार्य प्रगति पर। |
| 2. | इन्दिरा अम्मा भोजनालय सब्सिडी | 100.00 | 0.00 (पूर्व अवशेष सक्रिय) | 0.00 | 22–24 कैंटीन संचालन / 11.12 लाख थाली वितरण | 24 कैंटीनें सक्रिय रूप से संचालित; 11 लाख से अधिक थालियां वितरित। |
| 3. | DAY-NRLM (RF एवं | 29,860.00 | 14,221.53 | 6,757.85 | 5000 SHG को RF तथा 8000 को | 57,980 समूहों को RF तथा 46,650 |

| क्र. सं. | योजना / सहायिकी कार्यक्रम का नाम | वार्षिक बजट प्राविधान (2026-27) | अवमुक्त / उपलब्ध धनराशि (अगस्त 2026) | वास्तविक व्यय / संवितरण (अगस्त 2026) | वार्षिक भौतिक लक्ष्य | भौतिक उपलब्धि की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIF अनुदान) | | | | CIF वितरण | समूहों को CIF वितरित। |
| 4. | PMAY-G ग्रामीण आवास सहायता | 29,835.00 | 741.70 | 4.81 | आवास प्लस सूची से 15,000 संभावित आवास | कुल 55,748 आवास पूर्ण; शेष निर्माणाधीन पूर्णता की ओर। |
| 5. | पीएम-जनमन (PVTG आवास) | 1,200.00 | 200.68 | 51.60 | 600 पीवीटीजी परिवार आवास संतृप्तिकरण | 2,140 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 1,668 आवास पूर्ण, 472 प्रगति पर। |

## 12.4 सब्सिडी / अनुदान हेतु पात्रता मानदंड

विभिन्न सहायिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक पात्रता शर्तें निम्न प्रकार हैं:

**1. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम हेतु पात्रता:**

- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी कृषक अथवा पशुपालक होना अनिवार्य है।
- 1 से 2 घनमीटर संयंत्र हेतु परिवार के पास न्यूनतम 4 से 6 मवेशी तथा 3 से 4 घनमीटर संयंत्र हेतु 7 से 10 मवेशी उपलब्ध होने चाहिए।
- लाभार्थी के पास आवास अथवा गोशाला के समीप संयंत्र निर्माण हेतु पर्याप्त खुली भूमि तथा जल स्रोत की उपलब्धता होनी अनिवार्य है।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पर्वतीय क्षेत्र तथा लघु/सीमांत कृषकों को उच्चतर अनुदान दरों की प्राथमिकता प्राप्त है।

**2. इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना हेतु पात्रता:**

- संचालक समूह की पात्रता: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूह (SHG)।
- समूह द्वारा न्यूनतम 6 माह तक पंचसूत्र का नियमित पालन किया गया हो तथा परिक्रामी निधि (RF) प्राप्त कर ली गई हो।
- खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता (FSSAI) मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता।
- एक स्वयं सहायता समूह को एक से अधिक कैंटीन आवंटित नहीं की जा सकती।

**3. DAY-NRLM (आजीविका) वित्तीय समावेशन पात्रता:**

- लक्षित परिवार: सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC-2011) तथा सहभागी पहचान प्रक्रिया (PIP) के तहत चिन्हित निर्धन एवं अति-निर्धन परिवार।
- समूह के 70% सदस्य बीपीएल / वंचित वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन) से होने अनिवार्य हैं।
- समूह का बैंक खाता संचालित हो तथा न्यूनतम 12 साप्ताहिक बैठकों का ऑडिट-सम्मत वित्तीय रिकॉर्ड संधारित हो।

**4. PMAY-G एवं पीएम-जनमन ग्रामीण आवास पात्रता:**

- PMAY-G: आवासविहीन परिवार, शून्य कमरे अथवा 1-2 कच्चे कमरों वाले जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवार जो SECC-2011 तथा भारत सरकार की आवास प्लस सूची में दर्ज हों। परिवार में कोई सदस्य पक्के मकान का स्वामी, सरकारी सेवा अथवा आयकरदाता न हो।
- पीएम-जनमन: उत्तराखण्ड के अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) - राजी एवं बुक्सा जनजाति के समस्त पात्र परिवार।

## 12.5 सहायिकी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण

विभाग द्वारा संचालित सहायिकी कार्यक्रमों में सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) को विशेष अधिमान दिया गया है:

**1. योजनावार लाभान्वित लाभार्थियों की संचयी संख्या एवं प्रोफाइल:**

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - लाभार्थी प्रोफाइल:**
  - कुल पूर्ण आवास: 55,748 परिवार
  - अनुसूचित जाति (SC) लाभार्थी: 18,638 (33.4%)
  - अनुसूचित जनजाति (ST) लाभार्थी: 2,815 (5.0%)
  - महिला लाभार्थी (एकल अथवा संयुक्त स्वामित्व): 28,647 (51.4%)
  - अल्पसंख्यक वर्ग लाभार्थी: 5,598 (10.0%)
- **पीएम-जनमन (आदिवासी न्याय महा अभियान) - लाभार्थी प्रोफाइल:**
  - शत-प्रतिशत लाभार्थी राजी एवं बुक्सा (PVTG) जनजातीय समुदाय के हैं।

- कुल स्वीकृत आवास: 2,140 | पूर्ण आवास: 1,668 परिवार (जनपद उधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, देहरादून व पौड़ी में)।

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना - NRLM (महिला समूह प्रोफाइल):**
  - संगठित ग्रामीण महिलाएं: 5,04,778
  - गठित कुल स्वयं सहायता समूह (SHG): 68,954
  - परिक्रामी निधि (RF) प्राप्त समूह: 57,980 समूह (₹86.16 करोड़ सहायिकी)
  - सामुदायिक निवेश निधि (CIF) प्राप्त समूह: 46,650 समूह (₹325.32 करोड़ निवेश सहायता)
  - लखपति दीदी के रूप में रूपांतरित ग्रामीण महिलाएं: 2,51,780 महिलाएं (वार्षिक आय ₹1.00 लाख से अधिक)

- **इन्दिरा अम्मा भोजनालय - लाभार्थी एवं संचालक प्रोफाइल:**
  - कुल संचालित कैंटीनें: 24 कैंटीनें (समस्त 13 जनपदों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित)।
  - लाभान्वित उपभोक्ता/नागरिक: 11,12,845 से अधिक थालियां रियायती दर पर वितरित की जा चुकी हैं।

**2. लाभार्थी सूचियों की सार्वजनिक उपलब्धता एवं वेब लिंक:**

लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं सोशल ऑडिट हेतु समस्त सहायिकी योजनाओं की ग्राम पंचायतवार सूचियां सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं:

1. PMAY-G एवं पीएम-जनमन लाभार्थी सूची: भारत सरकार के पोर्टल awaassoft.nic.in पर राज्य > जनपद > ब्लॉक > ग्राम पंचायत चयन कर FTO वार किस्तों का विवरण देखा जा सकता है।
2. NRLM स्वयं सहायता समूह एवं वित्तीय विवरण: nrlm.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट ukrd.uk.gov.in पर उपलब्ध।
3. भौतिक उपलब्धता: प्रत्येक ग्राम पंचायत के सूचना पट पर, संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में तथा जिला विकास कार्यालय के पटल पर लाभार्थी सूचियां जनसामान्य के निःशुल्क अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।